न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 41/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/146

1. मीठालाल पुत्र सवलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती बसन्तीदेवी पत्नी मीठालाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 04.04.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा खेमपुर, पटवार हल्का खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नं. 464 रकबा 0.3642 हैक्टेयर आराजी नम्बर 463 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि में से आराजी नम्बर 464 प्रार्थी संख्या 1 के नाम एवं आराजी नम्बर 463 प्रार्थी संख्या 2 के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के हम प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर हम प्रार्थीगण अपने परिवारजन सहित निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखलन्दाजी नही है। हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा में किस्म रास्ता आराजी नम्बर 432 स्थित है अर्थात हमारी कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा में सरकारी सार्वजनिक रास्ता भूमि हैं जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हैं।
2. हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा पर वर्तमान में हम प्रार्थीगण द्वारा पक्की बाउण्ड्रीवाल निर्मित करवा रखी है जो कई सालों पूर्व हमने हमारी खातेदारी की कृषि भूमि को रास्ते की त[illegible] हुए निर्मित करवाई थी। हम प्रार्थीगण द्वारा हमारी कृषि भूमि पर ही [illegible] का निर्माण करवाया है और हमने किसी भी प्रकार से रास्ते की भूमि पर न तो अतिक्रमण किया है न ही कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:47:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्माण करवाया है फिर भी रेवेन्यु एजेन्सी के कर्मचारी आये दिन हमारी भूमि की रास्ते के सटमा वाली सीमा को लेकर विवाद करते है और व्यर्थ रूप से तंग परेशान कर निर्मित बाउण्ड्रीवाल को नुकसान पहुँचाने पर उतारू होते हैं जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही हैं। इसलिये हम प्रार्थीगण को उक्त विवाद के अंतिम निपटारे हेतु हमारी कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा की स्थायी पत्थरगढ़ी करा सीमाकंन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी कृषि भूमि की सरहद को लेकर कोई विवाद नही हो।

3. यह कि हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा की सीमा की पत्थरगढी होने से हम प्रार्थीगण व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ेगें और हमारी कृषि भूमि समुचित ढंग से उपयोग उपभोग कर सकेगें और व्यर्थ रूप से किसी प्रकार का नुकसान नही उठाना पड़ेगा। इसलिये हम प्रार्थीगण को हमारी उक्त कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा की पत्थरगढ़ी कराना जरूरी हो गया है। इसलिये हमारी ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। हम प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित हमारी कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा जानकारी कराये जाने हेतु दिनांक 21–03–2025 को श्रीमान् तहसीलदार मावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया। तहसीलदार मावली के आदेशानुसार दिनांक 25–03–2025 को पटवारी द्वारा मौके पर पहुँचकर सीमा जानकारी की कार्यवाही प्रारम्भ की किन्तु सीमा संबंधी मौके पर महिन (बारिक) विवाद होने के कारण सीमा जानकारी नही हो सकी और पटवारीजी ने इस प्रकार की स्थिति होने से सीमा जानकारी की कार्यवाही में असमर्थता जाहिर की और समक्ष न्यायालय से ई.टी.एस. सर्वे के साथ ही पत्थरगढ़ी का आदेश करवाने की मौखिक बात कही। इसलिये हम प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा का ई.टी.एस. सर्वे करा सीमाकंन कराकर पत्थरगढ़ी कराना जरूरी हो गया है।

4. यह कि हम प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25–03–2025 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी द्वारा मौके पर सीमा संबंधी महिन (बारिक) विवाद होने के कारण सीमा जानकारी की कार्यवाही करने में असमर्थता जाहिर कर हम प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय से ई.टी.एस. सर्वे के साथ ही पत्थरगढ़ी का आदेश करवाने की बात कही, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि मौजा खेमपुर, पटवार हल्का खेमपुर, तहसील मावली में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 463 व 464 की पश्चिमी दिशा की सीमा का ई.टी.एस. सर्वे कर पत्थरगढ़ी कराई जाकर सीमाकंन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pu India
Date: 2025.04.22 17:47:50 IST
Reason: SelfAttested

कराया जावें। ई.टी.एस. सर्वे का समस्त व्यय हम प्रार्थीगण वहन करने को तैयार हैं। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश हैं।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 के समन बाद तामिल प्राप्त हुए। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 2 की और से राजपैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई।
7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 374 पर दर्ज आराजी नम्बर 464 रकबा 0.3642 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। खाता संख्या 244 पर दर्ज आराजी नम्बर 463 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 2 के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। चुंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।
8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 374 पर दर्ज आराजी नम्बर 464 रकबा 0.3642 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 244 पर दर्ज आराजी नम्बर 463 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के पश्चिम दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। उक्त भूमि की पश्चिम दिशा की पत्थरगड़ी करने हेतु नायब तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी सहीत टीम का गठन कर ई.टी.एस. मशीन से सर्वे करवाकर की जावे। ई.टी.एस. मशीन का खर्चा प्रार्थीगण से वसूल किया जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
9. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:47:50 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर